प्रेस विज्ञप्ति

श्रम सचिव, बिहार से ईएसआईसी क्षेत्रीय निदेशक की महत्वपूर्ण बैठक

पटना, 13 फरवरी 2026

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), बिहार के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार ने बिहार के श्रम सचिव, श्री दीपक आनंद से शिष्टाचार मुलाक़ात की। श्रम सचिव ने अपने कार्यालय में ईएसआईसी के विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बीमित श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना था। इस बैठक के दौरान राज्य संचालित औषधालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि कामगारों को प्राथमिक स्तर पर निर्बाध चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही, क्षेत्रीय निदेशक ने बेगूसराय और भागलपुर में स्वीकृत नए ईएसआईसी अस्पतालों के निर्माण हेतु लंबित भूमि आवंटन के मुद्दे को सचिव के संज्ञान में लाया, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए श्रम सचिव महोदय ने कार्य में सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों (DMs) के साथ सीधे फॉलो-अप (Follow-up) करने का ठोस आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान आगामी 24 फरवरी को मनाए जाने वाले 'ईएसआईसी की 75 वीं स्थापना दिवस' समारोह की तैयारियों के संदर्भ में भी श्रम सचिव महोदय को अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के चैप्टर IV के प्रावधानों को राज्य में राज्य सरकार के विभागों की सहायता की जहाँ भी आवश्यकता हो, तो ईएसआईसी सीधे श्रम सचिव से संपर्क कर इस लेबर कोड का अधिकतम लाभ बिहार के श्रमिकों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचाया जा सके। साथ ही क्षेत्रीय निदेशक ने श्रम सचिव से यह भी आग्रह किया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ठेके या मान्यता के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में चैप्टर IV यानी ईएसआईसी का पंजीकरण होना अनिवार्य शर्तों में शामिल किया जाये ताकि व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राज्य सरकार और ईएसआईसी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से, श्रम सचिव श्री दीपक आनंद ने प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में एक नियमित संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित करने की सलाह दी।